भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 473

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

वर्षाजल संचयन की योजनाएं

473. डॉ. के. सुधाकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्षाजल संचयन में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में जल संकट के प्रभाव को रोकने और इस बढ़ती समस्या के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कर्नाटक में भूजल स्तर पर कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में भूजल पुनर्भरण बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में जल संकट की समस्या के समाधान और इस बढ़ती समस्या के प्रबंधन हेतु वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित है:

i. भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) नामक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं।

ii. 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसके अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो जेएसए की श्रृंखला में 5वां अभियान है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (केम्पा), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का अभिसरण है। इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन शामिल है।

iv. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में जल निकायों (जिसमें सीवेज / बहिःस्राव का प्रवाह नहीं हो रहा है) में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन के माध्यम से वर्षा जल संचयन का प्रावधान है। इस योजना का लक्ष्य 'जलभृत प्रबंधन योजना' का निर्माण कर शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में संवर्धन हेतु एक रोडमैप विकसित करते हुए भूजल पुनर्भरण में सुधार हेतु कार्यनीति तैयार करना है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर समुचित ध्यान देने के साथ साथ स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014।

vi. भारत सरकार द्वारा 7 राज्यों नामतः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना भूजल विकास से भूजल प्रबंधन तक एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

vii. भारत सरकार द्वारा "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल की प्रत्यक्ष उपलब्धता सुनिश्चित करना है और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार, स्थायी जल संरक्षण प्रथा आदि को शुरू करना है। पीएमकेएसवाई के तीन घटक/योजनाएं हैं, जिनमें हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना शामिल हैं।

viii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में संवर्धन हेतु एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 20.10.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की गई है।

ix. वर्तमान में मिशन अमृत सरोवर का देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण/पुनुरुद्धार के प्रावधानों के साथ कार्यान्वयन किया गया था, जिसका उद्देश्य जल संचयन और संरक्षण है ।

x. केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नेक्यूम) परियोजना पूरी हो गई है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु इसे संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

xi. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना-2020 भी तैयार की गई है यह अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं को शामिल करंने वाली एक वृहत स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा के संरक्षण हेतु देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

xii. भूजल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए देश में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। ये परियोजनाएं राज्य सरकारों को उपयुक्त भू-जल वैज्ञानिक स्थितियों में इन्हें अपनाने हेतु सक्षम बनाती हैं।

xiii. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन किया गया है तथा वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

xiv. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा आधारित और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जाता है। इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्य आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई द्वारा इन उपायों के माध्यम से बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों को संवेदनशील बनाते हुए सतत विकास सुनिश्चित किया जाता है।

(ग): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कर्नाटक राज्य सहित देश भर में मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त, नवम्बर और जनवरी माह के दौरान प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तर की मानीटरिंग की जाती है। कर्नाटक राज्य के लिए नवंबर 2024 के माह के लिए मैपिंग किए गए चिक्काबल्लापुरा जिले सहित जिलावार जल स्तर का विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है। मानसून पश्चात 2024 के जल स्तर के अनुसार, चिक्काबल्लापुरा जिले में विश्लेषण किए गए कूपों में से लगभग 83% ने जमीनी स्तर से 0 से 2 मीटर के मध्य जल स्तर पाया गया।

कर्नाटक राज्य में भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2024 के दौरान कर्नाटक में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2014-2023) के दशकीय औसत से की गई है। कर्नाटक के संबंध में माध्य (मानसून पश्चात 2014 से 2023) और मानसून पश्चात 2024 के साथ जिलावार दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव का विवरण अनुलग्नक-।। में प्रस्तुत किया गया है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि चिक्काबल्लापुर जिले के लिए विश्लेषण किए गए सभी कूपों के जल स्तर में वृद्धि हुई है।

(घ): सरकार द्वारा देश में भूजल पुनर्भरण में वृद्धि और जल स्तर में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं। जल शक्ति अभियान (जेएसए) 2019 की शुरुआत जल की कमी वाले 256 जिलों में मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में की गई थी। इन प्रयासों को जारी रखने के लिए, कैच द रेन (सीटीआर) अभियान 2020 में शुरू किया गया था, जिसे बाद में 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) में शामिल कर लिया गया, जिसमें देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब एक वार्षिक अभियान, जेएसए: सीटीआर वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं पर केंद्रित है।

उपरोक्त विजन को आगे बढाते हुए गुजरात के सूरत में दिनांक 6 सितंबर, 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) संबंधी पहल की शुरुआत की गई थी। जेएसए: सीटीआर के तहत इस विशेष पहल का उद्देश्य गुजरात के जल संचय कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाना है, यह कार्यक्रम एकीकृत समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देता है।

जेएसजेबी कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से लागत प्रभावी तरीके से जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें स्थानीय समुदायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। व्यापक भागीदारी के माध्यम से यह पहल भारत की बढ़ती जल चुनौतियों का एक स्थायी समाधान प्रदान करती है।

जेएसजेबी का लक्ष्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और पारंपरिक तरीकों के संयोजन का उपयोग कर शहरी और ग्रामीण भारत में एक मिलियन कम लागत वाली पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना है। यह पहल स्थानीय समुदायों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को शामिल करते हुए सक्रिय भागीदारी और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है।

यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है जिसमें न केवल मनरेगा, अमृत, पीएमकेएसवाई आदि जैसी सरकारी योजनाओं से वित्त पोषण होता है , बल्कि यह जन भागीदारी, स्वामित्व और स्थिरता के लिए उद्योग - सीएसआर, परोपकार, व्यक्तिगत दानदाताओं, क्राउडफंडिंग आदि जैसे माध्यमों से भी वित्त पोषण करता है।

इसके अतिरिक्त, कर्णाटक राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कर्णाटक सरकार द्वारा जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन और सतत कृषि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भूजल पुनर्भरण बढ़ाने और जल स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन किया गया हैं। प्रमुख उपायों में चेक डैम, परकोलेशन टैंक, खेत तालाब, रिचार्ज कुएं और बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ पारंपरिक जल निकायों से गाद निकालना और उन्हें गहरा करना भी शामिल है। अपवाह को कम करने और अंतःप्रवेश में सुधार करने में मदद करने के लिए कंटूर ट्रेंच, बांधों, वृक्षारोपण और गली प्लगिंग जैसे वाटरशेड प्रबंधन प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक नेतृत्व वाले जल बजट, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के साथ अभिसरण ने इन प्रयासों को और सुदृढ़ किया है। विगत वर्ष 2024-25 में 560.05 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 1,46,590 जल संरक्षण कार्य शुरू किए गए और इसमे समुचित प्रगति हुई है, जिससे भूजल पुनर्भरण और स्थायी जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ है।

*****

अनुलग्नक-I

'वर्षाजल संचयन की योजनाएं' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 473 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मानसून पश्चात वर्ष 2024 मे प्रेक्षण कुओं की गहराई की तुलना में उनमें जलस्तर वितरण (अपरिरुद्ध जलभृत) की प्रतिशतता का जिला वार विवरण															
क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जिला का नाम	विश्लेषित कुओं की संख्या	गहराई की तुलना में जल स्तर (एमबीजीएल) दिखाने वाले कुएं की संख्या / प्रतिशत											
				0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
				संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	कर्नाटक	बागलकोट	25	6	24.0	9	36.0	8	32.0	1	4.0	1	4.0	0	0.0
2	कर्नाटक	बल्लारी	10	4	40.0	4	40.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	10	4	40.0	3	30.0	2	20.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
4	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	18	7	38.9	10	55.6	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	कर्नाटक	बीदर	32	6	18.8	14	43.8	10	31.3	2	6.3	0	0.0	0	0.0
6	कर्नाटक	चामराजनगर	17	8	47.1	3	17.6	5	29.4	1	5.9	0	0.0	0	0.0
7	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर	6	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	कर्नाटक	चिक्कामगलुरु	69	17	24.6	28	40.6	23	33.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0
9	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	24	12	50.0	8	33.3	4	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	91	12	13.2	31	34.1	43	47.3	5	5.5	0	0.0	0	0.0
11	कर्नाटक	दावणगेरे	40	26	65.0	13	32.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0
12	कर्नाटक	धारवाड़	24	10	41.7	7	29.2	5	20.8	2	8.3	0	0.0	0	0.0
13	कर्नाटक	गडग	19	4	21.1	5	26.3	8	42.1	1	5.3	1	5.3	0	0.0
14	कर्नाटक	हसन	62	25	40.3	18	29.0	17	27.4	2	3.2	0	0.0	0	0.0
15	कर्नाटक	हावेरी	22	9	40.9	9	40.9	4	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	कर्नाटक	कलबुर्गी	53	20	37.7	24	45.3	7	13.2	2	3.8	0	0.0	0	0.0
17	कर्नाटक	कोडागू	71	13	18.3	22	31.0	27	38.0	9	12.7	0	0.0	0	0.0

18	कर्नाटक	कोलार	20	11	55.0	9	45.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19	कर्नाटक	कोप्पल	21	7	33.3	11	52.4	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20	कर्नाटक	मंड्या	38	19	50.0	13	34.2	6	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21	कर्नाटक	मैसूर	50	23	46.0	17	34.0	7	14.0	3	6.0	0	0.0	0	0.0
22	कर्नाटक	रायचूर	38	11	28.9	13	34.2	14	36.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23	कर्नाटक	रामानगर	26	13	50.0	9	34.6	3	11.5	1	3.8	0	0.0	0	0.0
24	कर्नाटक	शिवमोगा	77	18	23.4	21	27.3	33	42.9	5	6.5	0	0.0	0	0.0
25	कर्नाटक	तुमकुरु	35	20	57.1	12	34.3	2	5.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0
26	कर्नाटक	उडुपी	68	4	5.9	24	35.3	37	54.4	3	4.4	0	0.0	0	0.0
27	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	75	18	24.0	28	37.3	24	32.0	5	6.7	0	0.0	0	0.0
28	कर्नाटक	विजयनगर	16	10	62.5	6	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29	कर्नाटक	विजयपुरा	55	15	27.3	32	58.2	8	14.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	कर्नाटक	यादगीर	24	7	29.2	10	41.7	7	29.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		कुल	1136	364	32.04	414	36.44	310	27.29	46	4.05	2	0.18	0	0.00

*****

अनुलग्नक-II

'वर्षाजल संचयन की योजनाएं' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 473 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मानसून पश्चात 2024 (अपरिरुद्ध जलभृत) के साथ मानसून पश्चात 2014 से 2023 के मध्य जल स्तर में परिवर्तन का वर्गीकरण															
क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जिला का नाम	विश्लेषित कूपों की संख्या	जल स्तर में उतार चढ़ाव (एमबीजीएल) दिखाने वाले कुएं की संख्या / प्रतिशत											
				वृद्धि						गिरावट					
				0 से 2		2 से 4		> 4		0 से 2		2 से 4		> 4	
1	कर्नाटक	बागलकोट	24	14	58.3	3	12.5	2	8.3	1	4.2	3	12.5	1	4.2
2	कर्नाटक	बल्लारी	10	3	30.0	5	50.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0
3	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	9	7	77.8	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	18	10	55.6	1	5.6	0	0.0	7	38.9	0	0.0	0	0.0
5	कर्नाटक	बीदर	31	13	41.9	4	12.9	2	6.5	11	35.5	0	0.0	1	3.2
6	कर्नाटक	चामराजनगर	16	5	31.3	4	25.0	1	6.3	5	31.3	1	6.3	0	0.0
7	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर	6	3	50.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	कर्नाटक	चिक्कामगलुरु	67	41	61.2	10	14.9	3	4.5	13	19.4	0	0.0	0	0.0
9	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	24	9	37.5	8	33.3	6	25.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
10	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	89	63	70.8	5	5.6	2	2.2	16	18.0	1	1.1	0	0.0
11	कर्नाटक	दावणगेरे	38	25	65.8	4	10.5	1	2.6	7	18.4	1	2.6	0	0.0
12	कर्नाटक	धारवाड़	24	12	50.0	7	29.2	4	16.7	1	4.2	0	0.0	0	0.0
13	कर्नाटक	गडग	19	8	42.1	6	31.6	3	15.8	2	10.5	0	0.0	0	0.0
14	कर्नाटक	हसन	62	35	56.5	8	12.9	9	14.5	9	14.5	0	0.0	1	1.6
15	कर्नाटक	हावेरी	21	8	38.1	4	19.0	6	28.6	3	14.3	0	0.0	0	0.0
16	कर्नाटक	कलबुर्गी	51	31	60.8	8	15.7	1	2.0	11	21.6	0	0.0	0	0.0
17	कर्नाटक	कोडागू	65	43	66.2	3	4.6	3	4.6	13	20.0	2	3.1	0	0.0
18	कर्नाटक	कोलार	19	12	63.2	4	21.1	0	0.0	3	15.8	0	0.0	0	0.0
19	कर्नाटक	कोप्पल	20	12	60.0	3	15.0	3	15.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0
20	कर्नाटक	मंड्या	34	19	55.9	3	8.8	1	2.9	7	20.6	4	11.8	0	0.0
21	कर्नाटक	मैसूर	47	28	59.6	9	19.1	2	4.3	7	14.9	1	2.1	0	0.0
22	कर्नाटक	रायचूर	36	18	50.0	0	0.0	2	5.6	10	27.8	4	11.1	1	2.8
23	कर्नाटक	रामानगर	26	17	65.4	1	3.8	1	3.8	7	26.9	0	0.0	0	0.0
24	कर्नाटक	शिवमोगा	75	50	66.7	2	2.7	0	0.0	22	29.3	1	1.3	0	0.0
25	कर्नाटक	तुमकुरु	33	19	57.6	6	18.2	3	9.1	4	12.1	1	3.0	0	0.0
26	कर्नाटक	उडुपी	58	30	51.7	0	0.0	1	1.7	22	37.9	4	6.9	1	1.7

27	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	75	34	45.3	2	2.7	0	0.0	36	48.0	0	0.0	2	2.7
28	कर्नाटक	विजयनगर	16	6	37.5	4	25.0	5	31.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0
29	कर्नाटक	विजयपुरा	54	23	42.6	7	13.0	5	9.3	15	27.8	1	1.9	1	1.9
30	कर्नाटक	यादगीर	20	13	65.0	1	5.0	0	0.0	4	20.0	2	10.0	0	0.0
		कुल	1087	611	56.21	127	11.68	66	6.07	242	22.26	26	2.39	8	0.74

*7 कुओं में जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

*****